



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 491]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 27, 2012/आश्विन 5, 1934

No. 491]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 27, 2012/ASVINA 5, 1934

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(जैवप्रौद्योगिकी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 सितम्बर, 2012

सा.का.नि. 727(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और जैवप्रौद्योगिकी विभाग में कनिष्ठ विश्लेषक (तकनीकी) (समूह "ख" राजपत्रित अननुसूचित) भर्ती नियम, 2008 को, उन बातों के सिवाय अधिकृत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जैवप्रौद्योगिकी विभाग में कनिष्ठ विश्लेषक (तकनीकी) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, जैवप्रौद्योगिकी विभाग, कनिष्ठ विश्लेषक (तकनीकी), समूह "ख" पद भर्ती नियम, 2012 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 2 से स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ 5 से स्तंभ 13 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
1	2	3	4	5	6
कनिष्ठ विश्लेषक (तकनीकी)	17* (2012) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' राजपत्रित अननुसूचित	वेतन बैंड -2 9300-34800 रु. ग्रेड वेतन+ 4600 रु.	चयन	30 वर्ष से अधिक नहीं। टिप्पण: 1. केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। टिप्पण :-2 आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।

-3-

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	7	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो।
<p>(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान में मास्टर डिग्री; या</p> <p>(ii) विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से संबंधित प्रस्तावों या कार्यक्रमों की संवीक्षा और विश्लेषण और उनके कार्यान्वयन को मानीटर करने का दो वर्ष का अनुभव।</p> <p>टिप्पण 1 :- अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।</p> <p>टिप्पण 2 :- अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।</p>	8	<p>आयु : नहीं</p> <p>शैक्षिक अर्हताएं : नहीं</p> <p>टिप्पण : किन्तु जिनके पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान में बैचलर डिग्री या इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा।</p>	9
			सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।

-4-

<p>भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता</p>	<p>10</p>	<p>प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा ।</p>
<p>50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा ; और 50 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा ।</p>	<p>11</p>	<p>प्रोन्नति : वेतन बैंड - 2; 9300-34800 रुपए + ग्रेड वेतन 4200 रुपए में ऐसे कनिष्ठ तकनीकी सहायक जिन्होंने उस श्रेणी में पाँच वर्ष नियमित सेवा की है । टिप्पण - 1 जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब; जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो । टिप्पण - 2 : प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा एक जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के जहाँ एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहाँ यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है। उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर विस्तारित तत्स्थानी वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी । प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी ; (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-2 ; 9300-34800 रुपए + ग्रेड वेतन 4200 रुपए या समतुल्य श्रेणी में पाँच वर्ष नियमित सेवा की है; और (ख) जिनके पास स्तंभ 7 के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है ।</p>

<p>टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे और इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p>टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 4: प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा एक जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छोटे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के जहाँ एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और जहाँ यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है। उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।</p>	<p>यदि विभागीय प्रोन्नति सीमित है तो उसकी संरचना</p> <p>12</p>	<p>भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा</p> <p>13</p> <p>संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।</p> <p>अध्यक्ष सदस्य</p> <p>समूह "ख" विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति और पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए), जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. संयुक्त सचिव (प्रशासन) - 2. संबद्ध प्रभाग का वैज्ञानिक "एफ" - 3. प्रशासन का भार साधक उप सचिव या अवर सचिव - सदस्य
--	--	--

[फा. सं. ए-12011/03/2008-स्था.]

बीना ई. चक्रवर्ती, अवर सचिव

3698-012711-2

MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY**(Department of Biotechnology)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 24th September, 2012

G.S.R. 727(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Department of Biotechnology Group 'C' and Group 'D' (Non-Gazetted , Non-Ministerial) posts Recruitment Rules, 2003, in so far as they relate to the post of Junior Technical Assistant, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Junior Technical Assistant in the Ministry of Science and Technology, Department of Biotechnology, namely :-

1. Short title and commencement. - (1) These rules may be called the Ministry of Science and Technology, Department of Biotechnology, Junior Technical Assistant, Group 'B' Post Recruitment Rules, 2012

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. Number of post, classification, pay band and grade pay or pay scale. - The number of said post, its classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.
3. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.- The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.
4. Disqualifications.- No person, -
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax. - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
6. Saving. - Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Pay band and grade pay or pay scale
1	2	3	4
Junior Technical Assistant.	13* (2012) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Pay band-2: ₹9,300-34,800/- plus grade pay: ₹4200.
Whether selection post or non selection post.	Age limit for direct recruits.		
5	6		
Not applicable	<p>Not exceeding 30 years.</p> <p>Note 1: Relaxable for Government Servants upto five years in accordance with the instruction or orders issued by Central Government.</p> <p>Note 2: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andamans and Nicobar Islands or Lakshwadweep).</p>		
Educational and other qualifications required for direct recruits.		Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.
7	8	9	
<p>Essential: Bachelor's degree in Life Sciences from a recognised University.</p> <p>Note: Qualifications are relaxable at the discretion of Staff Selection Commission, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified.</p> <p>Desirable: Master's degree or Bachelor of Technology or Bachelor of Engineering in Biotechnology from a recognised University or Institute.</p>	Not applicable.	Two years.	

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made.
10	11
<p>Direct recruitment.</p> <p>Note: Vacancy caused by the incumbent being away on deputation or long leave or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation from the officials of the Central Government,-</p> <p>(a) (i) holding analogous posts on regular basis; or (ii) with six years regular service in the grade in pay band-1 ₹ 5200-20200 plus grade pay of ₹ 2800 or equivalent; or (iii) with ten years regular service in the grade in pay band -1 ₹ 5200-20200 plus grade pay of ₹ 2400 or equivalent; and (b) possessing the qualifications prescribed for direct recruits under column 7.</p> <p>(The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years, as on the closing date of receipt of applications).</p>	Not applicable.
If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
12	13
<p>Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Scientist not below the rank of Scientist 'F' - Chairman; 2. Deputy Secretary or Under Secretary in charge of - Member; Establishment 3. Scientist not below the rank of Scientist 'C' - Member. 	Consultation with Union Public Service Commission not necessary

[F. No. A-12011/03/2008-Estt.] ,

BEENA E. CHAKRAVARTY, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 सितम्बर, 2012

सा.का.नि. 728(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और जैवप्रौद्योगिकी विभाग समूह "ग" और समूह "घ" (अराजपत्रित अननुसूचित) पद भर्ती नियम, 2003 को, जहाँ तक उसका संबंध कनिष्ठ तकनीकी सहायक के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जैवप्रौद्योगिकी विभाग में कनिष्ठ तकनीकी सहायक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, जैवप्रौद्योगिकी विभाग, कनिष्ठ तकनीकी सहायक, समूह "ख" पद भर्ती नियम, 2012 है।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. **पद संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान** : उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 2 से स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट हैं।
3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि** : भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ 5 से स्तंभ 13 में विनिर्दिष्ट हैं।
4. **निरर्हता** : वह व्यक्ति
(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है विवाह किया है, या
(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,
उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा
परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।
5. **शिथिल करने की शक्ति** : जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
6. **व्यावृत्ति** : इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

3675-52711-3

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
1	2	3	4	5	6
कनिष्ठ तकनीकी सहायक	13 * (2012) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित अननुसूचित	वेतन बैंड -2 9300-34800 रु.+ ग्रेड वेतन 4200 रु.	लागू नहीं होता	30 वर्ष से अधिक नहीं। टिप्पण: 1.केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। टिप्पण : 2 आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।
सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं			सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।		परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो।
7			8	9	
आवश्यक: किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से जीव विज्ञान में बैचलर डिग्री			लागू नहीं होता		दो वर्ष
टिप्पण : अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।					
वांछनीय: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से प्रौद्योगिकी में मास्टर डिग्री या बैचलर डिग्री या जैवप्रौद्योगिकी इंजीनियरी में बैचलर डिग्री।					

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति /प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा ।
10	11
सीधी भर्ती, टिप्पण : पदधारी की प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों के अधीन एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियाँ केन्द्रीय सरकार के ऐसे पदधारियों से प्रतिनियुक्ति पर भरी जा सकेंगी, - (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या (ii) जिन्होंने वेतन बैंड -1 ; 5200 - 20200 रुपए+ ग्रेड वेतन 2800 रुपए या समतुल्य श्रेणी में छह वर्ष नियमित सेवा की है ; या (iii) जिन्होंने वेतन बैंड - 1 ; 5200-20200 रुपए + ग्रेड वेतन 2400 रुपए या समतुल्य श्रेणी में दस वर्ष नियमित सेवा की है ;और (ख) जिनके पास स्तंभ 7 के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं हैं । (प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी)	लागू नहीं होता ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।
12	13
समूह "ख" विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :- 1. ऐसा वैज्ञानिक, जो वैज्ञानिक "एफ" की पंक्ति से कम का न हो- अध्यक्ष 2. उप सचिव या अवर सचिव, भारसाधक, स्थापन - सदस्य 3. ऐसा वैज्ञानिक, जो वैज्ञानिक "सी" की पंक्ति से कम का न हो - सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है ।

[फा. सं. ए-12011/03/2008-स्था.]

बीना ई. चक्रवर्ती, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th September, 2012

G.S.R. 728(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Department of Biotechnology Junior Analyst (Technical) (Group 'B' Gazetted, Non-Ministerial) Recruitment Rules, 2008, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Junior Analyst (Technical) in the Ministry of Science and Technology, Department of Biotechnology, namely :-

1. Short title and commencement. - (1) These rules may be called the Ministry of Science and Technology, Department of Biotechnology, Junior Analyst (Technical), Group 'B' Post Recruitment Rules, 2012.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. Number of post, classification, pay band and grade pay or pay scale. - The number of said post, its classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.
3. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.- The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.
4. Disqualifications.- No person, -
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax. - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving. - Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Pay band and grade pay or pay scale.
1	2	3	4
Junior Analyst (Technical)	17* (2012) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Gazetted, Non-Ministerial.	Pay band-2 ₹ 9300-34,800/- plus grade pay ₹4600/-.
Whether selection post or non selection post.	Age limit for direct recruits.		
5	6		
Selection.	<p>Not exceeding 30 years.</p> <p>Note 1: Relaxable for Government servant, upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.</p> <p>Note 2: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshwadweep).</p>		

3695 61712-4

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.
7	8	9
<p>(i) Master's degree in Science from a recognised University; or Bachelor's degree in Engineering or Technology from a recognised University; and</p> <p>(ii) two years' experience of scrutiny and analysis of proposals or programmes related to development of Science and Technology and monitoring of their implementation.</p> <p>Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified.</p> <p>Note 2: The qualification(s) regarding experience is or are relaxable at the discretion of Staff Selection Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, if at any stage of selection, Staff Selection Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.</p>	<p>Age: No Educational Qualifications: No</p> <p>Note: But must possess Bachelor's Degree in Science or Diploma in Engineering or Technology from a recognised University</p>	<p>Two years for direct recruits</p>
Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made.	
10	11	
Fifty per cent by promotion failing which by deputation; and fifty per cent by deputation failing which by direct recruitment.	<p>Promotion :</p> <p>Junior Technical Assistant in the pay band-2; ₹.9,300-34,800 plus grade pay of ₹4200 with five years regular service in the grade.</p>	

Note 1: Where Juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

Deputation :

Officers of the Central Government,-

- (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; or
- (ii) with five years regular service in the grade in the pay band -2 ₹ 9300-34800 plus grade pay ₹ 4200 or equivalent in the parent cadre or Department; and
- (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column 7.

Note 1 :The Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation and similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of Central Government shall ordinarily not exceed three years.

Note 3: The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.

Note 4: For the purpose of appointment on deputation, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
12	13
<p>Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion and confirmation) consisting of:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Joint Secretary (Administration) - Chairman; 2. Scientist 'F' of the concerned Division - Member; 3. Deputy Secretary or Under Secretary in charge of Administration - Member. 	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

[F. No. A-12011/03/2008-Estt.]

BEENA E. CHAKRAVARTY, Under Secy.